Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 2, October-2020, ISSN 2230-7540

अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का महत्व

Dr. Sanjeev Kumar Gupta*

Assistant Professor, Department of Physical Education, Government P.G. College, Charkhari, Mahoba, Uttar Pradesh

सार - ***अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन परिषद के द्वारा अनुच्छेद-1 में यह घोषणा की गई है कि खेलकूद को समस्त बच्चों को मौलिक अधिकार के रुप में प्रदान किया जावे। इसी अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1978 के दौरान अनुच्छेद-4 के द्वारा अपनी घोषणा में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रबन्धन की जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के दक्ष व्यक्तियों के जिम्मे करने हेतु अनुमोदन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्मित शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक संगठन की (युनेस्को) संघी के अनुरुप भारत गणराज्य ने संधि पर सहमति दी है कि भारत गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परिषद के अंतराष्ट्रीय घोषणा का पालन करेगा। भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर भारत के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं कार्यो की समीक्षा हेतु, अनेको संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, उक्त समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, प्रतिनिधि होते है भारत गणराज्य के द्वारा गठित उक्त समितियां विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों एवं केन्द्रों पर जाकर मंत्रालय के द्वारा सम्पन्न कार्यों की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करती हैं उक्त प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों के अच्छे कार्यो को प्रोत्साहित किया जाता है एवं मंत्रालयों के निरन्तर सुधार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जाती है। इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद की संसदीय समिति का भी गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के खेलकूद के कार्यक्रमों हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त खेद व क्षोभ प्रकट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये।***

कुंजी शब्दः खेल प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन

----------X----------

परिचय

इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद की संसदीय समिति का भी गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की समीक्षा हेतु गठित संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के खेलकूद के कार्यक्रमों हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर खेलकूद में भारत की व्यथा पर अत्यन्त खेद व क्षोभ प्रकट करते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये । भारत में प्रचलित खेल प्रबधन के ऊपर भी समिति ने गहरा असंतोष प्रकट किया जो कि निम्नानुसार है

अपने प्रतिवेदन के पद क्रमांक (एच) समन्वयन एवं जिम्मेदारी की कमी में समिति ने यह आंकलन किया है कि वर्तमान भारतीय खेल प्रबधन में केन्द्र सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, विभिन्न खेल संगठन एवं राज्य सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ अहम भूमिका निभा रही है। परन्तु सभी में भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि भारत गणराज्य में खेलों के उत्थान एवं उन्नति के हेतु सर्वोच्च स्थान है, की गतिविधियाँ बहुत ही असंतोषजनक है। समिति के द्वारा अपनी समीक्षा के दौरान उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबधन हेतु मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसके 6 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे है। उक्त सर्वोच्च खेल संस्थान के सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक तथा सचिव के रुप में नियुक्त किया जाता है एवं अन्य कार्यों हेतु कार्यकारी निदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों में से की जाती है, परन्तु समिति के द्वारा यह पाया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के शीर्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों में से किसी के पास खेलकूद अथवा शारीरिक

शिक्षा का आधार वह शैक्षणिक योग्यता नही है जिसके कारण कि उनके द्वारा भारतीय खेल हेतु निर्मित विभिन्न परियोजनायें बिना किसी परिणाम के निरर्थक ही समाप्त हो जाती है। अतः संसदीय समिति ने भी अपने अनुमोदन में भारतीय संसद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत की है कि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त शीर्षस्थ पदो पर अच्छे खेलों के आधार पर सम्पन्न खिलाडियों की नियुक्ति करें जो कि खेलकूद में रुचि लेकर राष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चल रहे केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रमों की अच्छी परियोजनायें तैयार कर सकें।

इस संबध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायालयीन आदेश में भी यह निर्णित किया गया है कि हाल में आयोजित कुछ ओलपिंक खेलों में छोटे-छोटे राष्ट्रों का खेल प्रदर्शन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा जब कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहॉ कि आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर है का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कट शब्दों में आलोचना करते हए निर्णित किया है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों की देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी हुई है जिनको कि खेलकूद में शून्य के बराबर आता है और वे खेल के उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करे अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन

2. इसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद की संसदीय समिति का भी गठन

परन्तु आज तक भी भारतीय खेलों की स्थिति में उत्थान हेतु विभिन्न खेल संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में शायद ही किसी के पास शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद में विशिष्टता अथवा योग्यता हो। ऐसी स्थिति में शोधार्थी वर्तमान शोध उपाधि हेतु भारतीय खेल प्रबंधन के शीर्षस्थ पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के संबंध में एक अध्ययन कर उनके पद तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संबधी शैक्षणिक कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहॉ कि आबादी विश्व में दूसरे स्थान पर है का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कट शब्दों में आलोचना करते हए निर्णित किया है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों की देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी हुई है जिनको कि खेलकूद में शून्य के बराबर आता है और वे खेल के उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करे अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक है।

परन्तु आज तक भी भारतीय खेलों की स्थिति में उत्थान हेतु विभिन्न खेल संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में शायद ही किसी के पास शारीरिक शिक्षा अथवा खेलकूद में विशिष्टता अथवा योग्यता हो। ऐसी स्थिति में शोधार्थी वर्तमान शोध उपाधि हेतु भारतीय खेल प्रबंधन के शीर्षस्थ पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के संबंध में एक अध्ययन कर उनके पद तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संबधी शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उनकी भागीदारी (प्रतिनिधित्व) की जानकारी एकत्र कर उसके संबध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा तथा उक्त अध्ययन के दौरान विभिन्न वर्गों के द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुरुप भारत के खेलों के लिए आवश्यक प्रबंध का प्रारुप कैसा हो, पर शोध करेगा।

भारत जैसे विशाल राष्ट्र जहाँ की आबादी विश्व मे दूसरे नंबर पर है, का खेल प्रदर्शन दयनीय है, उक्त पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यन्त कटु शब्दों में यह आलोचना की थी कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय खेलों में खिलाडियों के देखरेख एवं उन्नति की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौंपी गई है जिनको कि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में शून्य के

बराबर योग्यता है और वे खेल उत्थान के बारे में न सोचते हुए आपसी दलगत बुराइयों तथा न्यायालयीन विवादों में उलझकर खेल के मैदान के बारे में सोचना बंद कर चुके है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रूचि लेते हुए खेलों के विभिन्न सर्वोच्च पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उपाधि प्राप्त विशेषज्ञों को ही नियुक्त करें अन्यथा उन्होने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार के द्वारा खेलों के उत्थान हेतु प्रदान की जाने वाली अपार धनराशि के बावजूद भी परिणाम दयनीय एवं निराशाजनक ही रहेगें।

भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राज्य सभा के माननीय सांसद श्रीमती बंगा गीता, श्री जनेश्वर मिश्र और श्री आर.के. गोयनका के द्वारा पूछे गये तांराकित प्रश्न सं. क्रमशः 86, 96 का उत्तर 24 नवम्बर 2000 को राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री सुश्री उमा भारती के द्वारा यह कथन किया गया था कि खेलों के मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि खेल मंत्रालय उनके बच्चों के लिए ऐसी व्ययस्था करें और कम से कम प्रत्येक वर्ष 20 बच्चों का सलेक्शन करें, साई स्पोर्ट स्कूल, लखनऊ और राई में नामांकन की व्यवस्था करें।

राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा विश्व कप फूटबाल के सभी मैचों के सीधा प्रसारण की व्यवस्था किए जाने की आवश्कता:

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): विश्व कप फुटबाल मैच की उल्टी गिनती शुरु हो गयी है। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं हैं कि क्या लाखों भारतीय दर्शक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, खेलों का प्रसारण देख सकेंगे। अथवा नहीं। महोदय, पूरे देश से लोग इस खेल में भाग लेते हैं। वे विश्व कप में इस आश्चर्यजनक खेल के देखने के लिए चार वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं।

कुछ निजी टीवी चैनल इन खेलों का प्रसारण करेंगे ये खेल केवल उन शहरी क्षेत्रों में ही देखे जा सकेंगे जहां केबल टी.वी. उपलब्ध है और देश के विशाल क्षेत्र में केवल कनैक्शन उपलब्ध नहीं है। यह गांवो में रहने वाले उन करोड़ों लोगों के लिए, जो खेलो में इस विशाल आयोजन को देखने से वंचित रह जाएंगे एक दुखद घटना होगी।

हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्कयता:

श्री सुरेन्द्र चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवम् पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन खेल प्रतिभाओं की वहां कमी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ उनको निखारने हेतु खेल सुविधाएं मुहैया कराने की है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त एवं सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) विभाग ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति एवम् सहायता प्रदान करने हेतु बिलासपुर-हिमाचल प्रदेश में 400 मीटर एथलैटिक ट्रेक निर्माण, हमीरपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण, ऊना में तरण ताल (स्वीमिंग पूल) निर्माण, हमीरपुर मैं खेल अकादमी स्थापत करने की परियोजना की स्वीकृति एवं हि.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में खेल के मौदानों का विकास करने एवं खेल सामग्री क्रय करने हेतु 67 प्रकरण प्रेषित किए हैं, लेकिन वे अभी तक लंबित है। मेरा आग्रह है कि शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

मैं जानता हूं कि जहां तक खेलों का संबंध हैं, बजट में इसका कुछ विशेष उल्लेख होना चाहिए था। जहां तक विश्व कप का सवाल है, सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार उन युवाओं को विशेषकर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं को क्या समर्थन दे रही है जो कि खेलों में रुचि रखते हैं और प्रतिभाशाली है। वह क्या कदम उठा रही हैं

निष्कर्ष

भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय में सचिव, सह सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विविध सेवा से चुने गये पदाधिकारी कार्यरत है। परन्तु उक्त पदाधिकारी किसी भी प्रकार खेल व्यवसायिक योग्यता को नहीं रखते है परन्तु उक्त समस्त अधिकारी भारत सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा खेल एवं युवा कार्यक्रम के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तालिका क्रमांक 1 लगायत 10 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इस शोध में यह निष्कर्ष पाया गया कि शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा के छात्र, पत्रकार, राजनीतिज्ञ तथा

जन साधारण ने भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रबंधन में साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के विपरीत दायित्व सौपने हेतु अपना मत प्रदान किया। वैसा ही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश जो कि म0प्र0 फेंन्सिग संघ बनाम श्री विद्याचरण शुक्लाश् में प्रतिपादित करते हुये केन्द्र सरकार को यह सलाह दी थी कि सरकार राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय खेलों के आयोजन में अधिक से अधिक रुचि लेते हुये भारतीय खेलों में प्रबंधन की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों को सौपे जिनको कि खेलकूद अथवा उस विषय में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1] लोक सभा वाद-विवाद गुरुवार 17 श्रावण, 1924 (शक) 08.08.2002 पृष्ठ क्रमांक: 290

[2] लोकसभा वाद-विवाद, 28 अग्रहायण 1924 (शक) 19.12.2002 पृष्ठक्र0318 पृष्ठ क्रमांक 5001

[3] नियम 337 के अधीन मामले द्वारा श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) 13.05.02

[4] नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री राजैया मल्याला (सिट्रीपेट) 19.03.02 पृष्ठ क्रमांक 445.

[5] नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर हि0प्र0) 03.12.03 पृष्ठ क्रमांक 500..

[6] प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य- प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई 02.05.03 (एल0टी0 7624/2003) पृष्ठ क्रमांक 345

[7] नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री डी0 वेणूगोपाल (पिरुपत्तूर) 29.04.03 पृष्ठ क्रमांक 265.

[8] सामान्य बजट 2003-04 सामान्य चर्चा द्वारा श्री जोवाकिम बखला (अलीपुर द्वारस) 10.03.03 पृष्ठ क्रमांक 555.

[9] पूर्वान्ह 1-14 बजे निधन व बधाई सम्बन्धी उल्लेख द्वारा श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) 27.02.03 पृष्ठ क्रमांक 06

[10] नियम 377 के अधीन मामले द्वारा श्री अब्दुल्लाकुद्दी (कन्नौर) 08.12.04

[11] राष्ट्रपति का अभिभाषण (संयुक्त बैठक) राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन 17. 02.03 पृष्ठ क्रमांक 308.

[12] अध्यक्ष द्वारा उल्लेख (लोक सभा वाद-विवाद) श्री सोमनाथ चटर्जी 18.08.04 पृष्ठ क्रमांक 01

Corresponding Author

Dr. Sanjeev Kumar Gupta*

Assistant Professor, Department of Physical Education, Government P.G. College, Charkhari, Mahoba, Uttar Pradesh